GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय

(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 22.11.2021**

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub:-Revised MoU to be entered into with Private empanelled hospitals.
Ref: Transformation Cell's letter no. 2018/Trans Cell/Health/CGHS dated 16.06.2021.

Railway Board vide letter cited under reference above had issued instructions to All Indian Railways/Production Units regarding implementation of Health Delivery System & Emergency Treatment in Railway empanelled private hospital.

Point no. 10 of the said letter states that Zonal railways shall include provisions for conditions given from Para 1 to 9 of the letter in their MoU to be entered into with referral hospitals.

Accordingly, a revised MoU to be entered into with Private empanelled hospitals has been prepared and a copy of the same is enclosed herewith.

All Indian Railways & Production Units are advised to enter into the revised MoU with all the empanelled hospitals.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

22/11/21

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 22.11.2021**

Copy to:

1. **The Pr. Chief Medical Directors/Chief Medical Officers, All Indian Railways/Production Units.**
2. **The PFA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.**

22/11/21

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 22.11.2021**

Copy to:

1. **The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.**
2. **The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.**

22/11/21

For Member Finance/Railway Board.

Copy to: F(E) Spl. Branch & Health Branch, Railway Board.

AGREEMENT

BETWEEN

PCMD/CMS/MD/CMO/ ACMS-IN-CHARGE

AND

..... Name of the Hospital

This Agreement is made on the _____ day of _____, 20..... between the President of India acting through CMS/MD/CMO/ ACMS-IN-CHARGE Government of India having its office at (Hereinafter called Railway, which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the **First Part**

AND

..... (Name of the Hospital with Address) of the **Second Part.**

WHEREAS, the Indian Railway Health Service (IRHS) is providing comprehensive medical care facilities to Railway beneficiaries as are decided from time to time.

AND WHEREAS, IRHS proposes to provide treatment facilities and diagnostic facilities to the Railway Beneficiaries in the Private empanelled Hospitals, in ----------(Name of City)

AND WHEREAS, _____ (Name of the Hospitals) has agreed to give the treatment / diagnostic facilities (As per Annexure – I) to the Railway Beneficiaries in the Health Care Organization at the rates offered by CGHS for ---------- (name of city):

NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY AGREED between the Parties as follows:

Terms & Conditions for empanelment of Hospitals for Treatment & Investigations

1. DEFINITIONS & INTERPRETATIONS

1.1 The following terms and expressions shall have the following meanings for purposes of this Agreement:

1.1.1 "Agreement" shall mean this Agreement and all Schedules, supplements, appendices, appendages and modifications thereof made in accordance with the terms of this Agreement.

1.1.2 "Benefit" shall mean the extent or degree of service the beneficiaries are entitled to receive as per the rules on the subject.

1.1.3 "Card" shall mean the (UMID/CTSE etc.) Photo Identity Card' bearing details of the beneficiary, issued by any competent authority of Railway Personnel department only. MIC shall mean 'Medical Identity card',

issued by any competent authority of Railway Personnel department, bearing the name of the Railway Employee or ex- Railway Employee and their eligible family members/dependents.

1.1.4 "Card Holder" shall mean a person having the (UMID/CTSE etc.) Card (a specimen of which has been shown to the hospital and a prototype has also been provided).

1.1.5 Railway Beneficiary shall mean any person who is eligible to comprehensive medical care by IRMS and has been issued, or whose name is included in, a Medical card issued by competent authority and has not become ineligible on any account.

1.1.6 "Coverage" shall mean the types of persons to be eligible as the beneficiaries subject to the terms, conditions and limitations.

1.1.7 "Emergency" shall mean any condition or symptom resulting from any cause, arising suddenly and if not treated at the early convenience, be detrimental to the health of the patient or will jeopardize the life / limb of the patient.

1.1.8 "Empanelment" shall mean authorization of the hospitals, by the Railway for treatment/ investigation purposes for a particular period.

1.1.9 "Hospital" shall mean the _____ (Name of the Hospital) while performing under this Agreement providing medical investigation, treatment and the healthcare of human beings.

1.1.10 "De-recognition of Hospital" shall mean debarring the hospital on account of adopting unethical practices or fraudulent means in providing medical treatment to or not following the good industry practices of the health care for the Railway health care beneficiaries after following certain procedure of inquiry

1.1.11 "Party" shall mean either the Railway or the Hospital and "Parties" shall mean both the Railway and the Hospital.

1.1.12 "CGHS "Package Rate" shall mean all inclusive – including lump sum cost of inpatient treatment / day care / diagnostic procedure for treatment under emergency from the time of admission to the time of discharge including (but not limited to) – (i) Registration charges, (ii) Admission charges, (iii) Accommodation charges including patients diet, (iv) Operation charges, (v) Injection charges, (vi) Dressing charges, (vii) Doctor / consultant visit charges, (viii) ICU / ICCU charges, (ix) Monitoring charges, (x) Transfusion charges and Blood processing charges (xi)Pre Anesthetic checkup and Anesthesia charges, (xii) Operation theatre charges, (xiii) Procedural charges / surgeon's fee, (xiv) Cost of surgical disposables and all sundries used during hospitalization, (xv) Cost of medicines and consumables (xvi) Related routine and essential investigations (xvii) Physiotherapy charges etc. (xviii) Nursing care charges etc.

Package rates also include two postoperative consultations.

1.1.13 Cost of Implants / stents / grafts are reimbursable in addition to package rates as per CGHS ceiling rates or as per actual, whichever is lower.

1.1.14 In case a beneficiary demands a specific Brand of Stent / Implant and gives his / her consent in writing, the difference in cost over and above the ceiling rate may be charged from the beneficiary, which is non-reimbursable / not payable by Railway. This component will be shown distinctly in the bill for sake of transparency.

1.1.15 During In-patient treatment of the Railway beneficiary, the hospital will not ask the beneficiary or his / her attendant to purchase separately the medicines / sundries / equipment or accessories from outside and will provide the treatment within the package rate, fixed by the CGHS which includes the cost of all the items. However, the following items are not admissible for reimbursement/ Payment by Railway:

- Toiletries
- Sanitary napkins
- Talcum powder
- Mouth fresheners
- Diet charges for patient's attendant/s
- Telephone bills / Dietary / Nutritional Supplements
- Any other item as decided by Railway

1.1.16 In cases of conservative treatment / where there is no CGHS package rate, calculation of admissible amount would be done item wise as per CGHS rates or as per AIIMS rates, if there is no CGHS rate for a particular item.

1.1.17 Package rates envisage up to a maximum duration of indoor treatment as follows:

- Upto 12 days for Specialized (Super Specialties) treatment
- Upto 7 days for other Major Surgeries
- Upto 3 days for Laparoscopic surgeries and
- 1 day for day care / Minor (OPD) surgeries.

However, if the beneficiary has to stay in the hospital for his / her recovery for a period more than the period covered in package rate, the additional bill amount may be allowed to the hospital, which shall be limited to accommodation charges as per entitlement, investigations charges at approved rates, doctors visit charges (not more than 2 visits per day by specialists / consultants) and cost of medicines for additional stay). The circumstances for such extended stay should be supported by relevant medical records and certified as such by hospital.

1.1.18 No additional charge on account of extended period of stay shall be allowed if that extension is assessed to have been necessitated due to Hospital Acquired Infection (HAI), infection as a consequence of surgical

24/1/14

procedure/ faulty investigation procedure etc. The decision of Railway will be final in this regard.

1.1.19 The empanelled hospital cannot charge more than CGHS approved rates or rates agreed upon with Railways, when a Railway beneficiary is admitted under non- emergency situation. In case of any instance of overcharging the overcharged amount over and above CGHS rate (except inadmissible items and difference paid due to implant/stent of a specific brand chosen by Railway beneficiary) shall be considered as unethical practice by the hospital and may lead to cancellation of contract.

1.1.20 IRHS has empanelled the ---------- hospital for Railway beneficiary for all the specialties for which it has been granted recognition by CGHS. It may also refer any of its beneficiaries for a treatment/ procedure/investigation which is not available in-house at the local health institution of railway.

1.1.21 For any interaction with Railway, the hospital shall be interacting with the signing authority, or one of his authorized officers, of this agreement. However a superior office of the signing authority may call for any report by the hospital.

1.1.22 The applicable city specific CGHS rates are as per notification by the CGHS for that city or nearest city. The rates will be as per applicable rate - i.e. any change upwards or downwards will be applicable from the date which is applicable in CGHS.

OR

Mutually agreed rates with Railways (in case of Government of India / Public Sector Undertaking hospitals or Non CGHS hospitals.

Hospital will write prescription in generic name & provide medicines for upto seven days period. This is subject to following conditions:-

i. **Only essential medicines in generic form for continuity of treatment will be issued by the hospital**
ii. **No nutritional supplements, tonic, cough syrup, vitamins; injections will be issued by the hospital. These are not allowed**
iii. **No non drug items / equipments / appliances will be issued**
iv. **Total cost of such medicines issued by the hospital must not exceed Rs 2000/- in any case**

2 DURATION OF AGREEMENT

The Agreement shall remain in force for a period of 2 years or till it is modified or revoked, whichever is earlier. The Agreement may be extended annually subject to fulfillment of all the terms and conditions of this Agreement and with mutual consent of both parties.

Note: In case the hospital is derecognized by CGHS or the recognition is not extended for any reason then, unless and until specifically allowed by Railway, the Railway empanelment under this agreement shall also be withdrawn.

27/11/14

Patients already admitted to the hospital during currency of MoU, will however, be continued to be provided treatment, which shall be paid by Railway as per this MoU.

3. CONDITIONS FOR PROVIDING TREATMENT/SERVICES

A. GENERAL CONDITIONS

The hospitals shall be empanelled for all facilities/services available in the health care organization as approved by CGHS and shall not be empanelled for selected specialties/ facilities.

The Hospitals shall investigate / treat the Railway beneficiaries only for the emergency condition for which the patient has reported to them. Likewise the Railway beneficiaries referred by the railway hospital shall be treated / investigated only for the condition referred. No undue/unnecessary investigation shall be done by the hospital.

It is agreed that Railway beneficiaries shall be attended to on priority.

IRHS has the right to monitor the treatment provided in the Private Hospital.

B. ADDITIONAL PROCEDURES/INVESTIGATIONS

The hospital has been empanelled for treatment / investigation of the Railway beneficiaries. For any material / additional procedure / investigation other than the emergency condition for which the authorization was initially given, would require the permission of the competent authority.

Likewise if IRHS refers a patient, the treatment given should be confined to the condition for which the patient has been referred by the Railway.

C. PROCEDURE WHERE A RAILWAY BENEFICIARY REPORTING IN EMERGENCY NEEDS TREATMENT IN A SPECIALITY(s) WHICH ARE NOT AVAILABLE IN THE HOSPITAL

The Hospital shall not undertake treatment of cases, reporting to them, in specialties which are not available in the hospital. But it will provide necessary treatment to stabilize the patient and transport the patient safely to nearest recognized hospital under intimation to Railway authorities. However in such cases the Hospital will charge as per the CGHS rates only for the treatment provided.

D. CHANGES IN INFRASTRUCTURE/STAFF TO BE NOTIFIED TO RAILWAY

The Hospital shall immediately communicate to Railway about any change in the infrastructure /Shifting of premises of the hospital. The empanelment will be temporarily withheld in case of shifting of the hospital facility to any other location without prior permission of Railway.

E. ANNUAL REPORT

The Hospital will submit an annual report regarding number of admitted Railway beneficiaries, bills submitted to the Railway and payment received. Similar report for the referred patients treated by the hospital may also be submitted. Annual audit report of the hospitals will also be submitted along with the statement. The Hospital shall submit all the medical records in digital format.

I. MEETINGS

Authorized signatory / representative of the empanelled hospital shall attend the periodic meetings held by Railway required in connection with improvement of working conditions and for redressal of grievances.

J. INSPECTIONS

During the visit by Railway officials, the empanelled hospital's authorities will cooperate in carrying out the inspection.

L. NO COMMERCIAL PUBLICITY

The Hospital will not make any commercial publicity projecting the name of Railway or Government of India. However, the fact of empanelment under IRHS shall be displayed at the premises of the empanelled hospital indicating that the charges will be as per CGHS approved rates.

4. TREATMENT IN EMERGENCY

The following ailments may be treated as emergency which is **illustrative only and not exhaustive**, depending on the condition of the patient and if any changes done by CGHS will apply for Railways too:

- Acute Coronary Syndromes (Coronary Artery Bye-pass Graft / Percutaneous,Transluminal Coronary Angioplasty) including Myocardial Infarction, Unstable Angina, Ventricular Arrhythmias, Paroxysmal Supra Ventricular Tachycardia, Cardiac Tamponade, Acute Left Ventricular Failure / Severe Congestive Cardiac Failure, Accelerated Hypertension, Complete Heart Block and Stoke Adam attack, Acute Aortic Dissection.
- Acute Limb Ischemia, Rupture of Aneurysm, Medical and Surgical shock and peripheral circulatory failure.
- Cerebro-Vascular attack-Stokes, Sudden unconsciousness, Head injury, Respiratory failure, decompensated lung disease, Cerebro-Meningeal Infections, Convulsions, Acute Paralysis, Acute Visual loss.
- Acute Abdomen pain.
- Road Traffic Accidents / with injuries including fall.
- Severe Hemorrhage due to any cause.
- Acute poisoning.
- Acute Renal Failure.

24/11/21

- Acute abdomen pain in female including acute Obstetrical and Gynecological emergencies.
- Electric shock. Any other life threatening condition.

In emergency the hospital will not refuse admission or demand an advance payment from the Railway beneficiary or his family member and will provide credit facilities to the patient whether the patient is a serving employee of Railway or a pensioner availing facilities, on production of a valid Railway Medical Identity card (UMID etc.). The refusal to provide the treatment to bonafide Railway Beneficiaries in emergency cases on credit basis, without valid ground, would attract disqualification for continuation of empanelment.

The Hospital will intimate all instances of Railway beneficiaries admitted as emergencies without prior permission to the Railway authorities through mutually accepted means to Railway authorities at the earliest and within 24 hours and Railway will revert within next 24 hours, otherwise it will be treated as deemed approved. The empanelled hospital will clearly mention/certify the emergency condition as per MoU.

If Railway finds that patient is not suffering from emergency, in such case the hospital bill upto the stage of such determination will be paid by Railway directly to the hospital. However, the patient can continue to avail treatment at the empanelled hospital, if so desired by paying CGHS rates or hospital rates whichever is less on the patients cost thereafter.

5. ENTITLEMENTS FOR VARIOUS TYPES OF WARDS

Railway beneficiaries are entitled to facilities of private, semi-private or general ward depending on their pay drawn in pay band/ pension. These entitlements are amended from time to time and the latest order in this regards needs to be followed. The entitlement at present is as follows:-

S. No.	Corresponding basic pay drawn by the officer in 7th CPC per month	Entitlement
1.	Upto Rs. 47,600/-	General Ward
2.	Rs.47,601/- to Rs. 63,100-	Semi-Private Ward
3.	Rs.63,101/- and above	Private Ward

The Card will have the entitlement of the patient endorsed. For the patients referred by railway the entitlement of ward shall be endorsed on the referral letter itself.

a. Private ward is defined as a hospital room where single patient is accommodated and which has an attached toilet (lavatory and bath). The room should have furnishings like wardrobe, dressing table, bed-side table, sofa set, carpet, etc. as well as a bed for attendant. The room has to be air-conditioned.

b. Semi Private Ward is defined as a hospital room where two to three patients are accommodated and which has attached toilet facilities and necessary furnishings.
c. General ward is defined as a hall that accommodates four to ten patients.

Treatment, in higher Category of accommodation than the entitled category, is not Permissible for payment by Railway or reimbursable. If the patient or his/ her attendant opts for a higher class than admissible under extent rules mentioned above (Para 5), as modified from time to time, the difference in cost of treatment including room charges, procedure and treatment cost, investigations etc would have to be borne by patient's representative. A written declaration to the effect should be taken before such change is carried out and it can be collected from the patient or his / her representative directly by the hospital. This should be indicated distinctly in the bill raised in the interest of transparency.

6. APPROVED RATES TO BE CHARGED

6.1 The empanelled hospital shall charge from the Railway beneficiary as per the rates for a particular procedure / package deal as prescribed by the CGHS or mutually accepted rates by Railways where rates are not available for CGHS or incase of Government of India undertaking hospitals or mutually accepted rates where no CGHS hospital exist and attached as Annexure (rate list), which shall be an integral part of this Agreement. The rates notified by CGHS shall also be available on web site of Ministry of Health & F.W. at http://msotransparent.nic.in/cghsnew/index.asp.

6.2 The package rate will be calculated as specified in the tender document. No additional charge on account of extended period of stay shall be allowed if, that extension is due to infection as a consequence of surgical procedure or due to any improper procedure and is not justified. The decision of Railway will be final in this regard.

6.3 The procedure and package rates for any diagnostic investigation, surgical procedure and other medical treatment for Railway beneficiary under this Agreement shall be as per the latest CGHS rate applicable for the city _____ (name of the city) during the validity period of this Agreement. The empanelled hospital agrees that during the In-patient treatment of the Railway beneficiary, the Hospital will not ask the beneficiary or his attendant to purchase separately the medicines / sundries / equipment or accessories from outside and will provide the treatment within the package deal rate, fixed by the CGHS which includes the cost of all the items. Appropriate action, including removal from RAILWAY empanelment and / or termination of this Agreement, may be initiated on the basis of a complaint, medical audit or inspections carried out by Railway teams. The hospital shall agree to charge CGHS rates to Railway Employees / Pensioners on production of valid I-Card / Documentary proof, even though treatment is not sought as Railway beneficiary.

7. MODE OF PAYMENT FOR TREATMENT OF BENEFICIARIES

There shall be three classes of patients:

I. Railway Beneficiaries referred by Railway Hospitals to the empanelled hospital.
II. Railway Beneficiaries reporting to Hospital directly in emergency.
III. Railway beneficiary directly reporting to empanelled hospital without any emergency or referral letter and paying on their own for OPD/IPD/Investigations for which empanelled hospital shall charge CGHS rate or hospital rate, whichever is less.

Railway beneficiaries coming under Serial No. 7 (I), will be attending the hospital with referral letter from Railways, the bill should be submitted to the office of the concerned Railway hospital with whom they have the MoU.

Railway beneficiaries coming under Serial No. 7 (II) above - **emergency as in para 4** treatment / procedures, the services shall be undertaken and provided on credit. No payment shall be sought from them and information sent to Railway hospital through mutually agreed means and authorization be sought from the concerned railway hospital with whom they have MoU with. Situation may arise where Railway hospital, after scrutinizing admission report submitted by empanelled hospital, finds that the patient is not suffering from an emergency. In such cases, the hospital bills upto the stage of such determination **(para 4)** shall be paid by Railway directly to Hospital. However, the patient can continue to avail treatment at the empanelled hospital, if so desired, paying CGHS rates or hospital rates, whichever is less on the patient's cost, thereafter

For Railway patients coming under Serial No. 7(III) above, empanelled hospital has to collect payment from the Railway patient directly at the rate as decided already. That is empanelled hospitals will provide the necessary treatment in OPD or otherwise to Railway beneficiary at the CGHS approved rates or hospital rates, whichever is less for the treatment in non-referral and non-emergency case at Railway Medical beneficiary's own cost

8. NOTIFICATION OF NODAL OFFICERS

Empanelled hospital shall notify concerned Railway hospital authority about admission of Railway beneficiaries in emergency clarifying the nature of emergency as pointed out in para 4. Empanelled hospital will mark a counter for Railway beneficiary and also display the name and contact no of person dealing with railways for that empanelled hospital as being done for CGHS beneficiary. Concerned Railway hospital will appoint two senior doctors for acting as administrative nodal officer for empanelled hospital and for Railway beneficiaries.

9. INFORMATION TO BE PROVIDED BY HOSPITALS OF EMERGENCY ADMISSIONS

The Hospital will intimate all instances of Railway beneficiaries admitted as emergencies without prior permission to the Railway authorities through mutually accepted means at the earliest and within 24 hours and Railway will revert within next 24 hours, otherwise it will be treated as deemed approved. The empanelled hospital will clearly mention/certify the emergency condition as per MoU.

If Railway finds that patient is not suffering from emergency, in such a case the hospital bill upto the stage of such determination will be paid by Railway directly to the hospital. However, the patient can continue to avail treatment at the empanelled hospital, if so desired by paying CGHS rates or hospital rates, whichever is less on the patient's own cost thereafter.

Treatment in no case would be delayed or denied for the reason that authorization by Railway is not forthcoming.

10. SUBMISSION OF BILLS

Empanelled hospital s shall submit the physical bill to the concerned CMS/MD office for processing of bills. However, no claims of empanelled hospitals after a period of six months from the date of completion of treatment/date of discharge of Railway beneficiaries shall be accepted by the Railway authority

11. PROCESSING OF CLAIMS

The Hospital shall be expected to upload the bill, on the website, for a particular episode within 7 days of the discharge of the patient.

Railway hospital shall put up a scrutinized statement of the bill within 15 days of submission of the bill by the hospital, as per the extant rules, raising objections if any, if the hospital has anything to state on the scrutinized statement then it will do so within 02 days, otherwise it will be presumed that hospital agrees with the scrutinized statement.

After approval MD/CMS/CMO office shall submit the bill to associate Accounts Department (within 15 working days of clearing of last query). Account Department will pass the bills and make the payment to the hospital within 15 working days.

Note:-The patient may be from some railway unit other than the agreement signing unit but the bill shall be paid by the Railway Unit which had empanelled the hospital, without making any reference or debit etc. to the Railway Unit to which beneficiary may belong.

Railway reserves the right to make recoveries, if any, from future bills of hospitals as the case may be. Railway hospital will examine the bill in terms of:

(a) Appropriateness of treatment including screening of patients records to identify unnecessary admissions and unwarranted treatments.
(b) Whether the planned treatment is shown as emergency treatment.
(c) Whether the diagnostic, medical or surgical, procedures that were not required were conducted by hospital including unnecessary investigations.
(d) Whether the treatment procedures have been provided as per the approved rates and the packages.
(e) Whether procedures performed were only those for which permission had been granted or the patient was referred.

(f) Empanelled hospital will provide established & approved treatment protocol to Railway beneficiaries. Therapies which are not approved or experimental in nature are not permitted.

12. MEDICAL AUDIT OF BILLS

There shall be a continuous Medical Audit of the services provided by the empanelled Private Hospital by railway or its nominated agency.

13. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EMPANELLED HOSPITAL

It shall be the duty and responsibility of the empanelled Hospital at all times, to obtain, maintain and sustain the valid registration, recognition and high quality and standard of its services and healthcare and to have all statutory / mandatory licenses, permits or approvals of the concerned authorities under or as per the existing laws".

14. NON ASSIGNMENT

The empanelled Hospital shall not assign, in whole or in part, its obligations to perform under the agreement, except with the Railway's prior written consent at its sole discretions and on such terms and conditions as deemed fit by the Railway. Any such assignment shall not relieve the Hospital from any liability or obligation under this agreement

15. EMPANELLED HOSPITAL'S INTEGRITY AND OBLIGAITONS DURING AGREEMENT PERIOD

The empanelled Hospital is responsible for and obliged to conduct all contracted activities in accordance with the Agreement using state-of-the-art methods and economic principles and exercising all means available to achieve the performance specified in the Agreement. The Hospital is obliged to act within its own authority and abide by the directives issued by the Railway. The Hospital is responsible for managing the activities of its personnel and will hold itself responsible for their misdemeanors, negligence, misconduct or deficiency in services, if any.

16. PERFORMANCE BANK GUARANTEE (PBG)

Health Care Organizations that are recommended for empanelment after the initial assessment shall also have to furnish a performance Bank Guarantee worth Rs. 2 Lakh valid for a period of 30 months i.e. six month beyond empanelment period to ensure efficient service and to safeguard against any default. (PBG for charitable Organizations would be 50% of above amount). In case of single specialty hospitals it PBG shall be worth Rs. 50,000 thousand only. If they have given the same to one Railway then they need to give to other Railway since if one hospital is empanelled with

24/11/21

a particular Railway then it is deemed empanelled by other Railway too and other Railways can simply sign the MoU with them in same term and conditions for beneficiaries from their Railways

17. FORFEITURE OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE AND REMOVAL FROM LIST OF EMPANELLED ORGANIZATIONS

In case of any violation of the provisions of the MoU by the hospital empanelled under Railway such as:

1. Refusal of service,
2. Undertaking unnecessary procedures,
3. Prescribing unnecessary drugs/tests
4. Over billing,
5. Reduction in staff/ infrastructure/ equipment etc. after the hospital/ has been empanelled.
6. Non submission of the report, habitual late submission or submission of incorrect data in the report
7. Refusal of credit to eligible beneficiaries and direct charging from them.
8. If not recommended by NABH/NABL/QCI at any stage
9. Discrimination against Railway beneficiaries vis-à-vis general patients
10. De-empanelment by CGHS/ECHS/ESI.

The amount of Performance Bank Guarantee will be forfeited and the Railway shall have the right to de-recognize the hospital as the case may be. Such action could be initiated on the basis of a complaint, medical audit or inspections carried out by Railway teams at random. The decision of the Railway will be final.

18. LIQUIDATED DAMAGES

- The Hospital shall provide the services as per the requirements specified by the Railway in terms of the provisions of this Agreement. In case of initial violation of the provisions of the Agreement by the Hospital such as refusal of service or direct charging from the railway Beneficiaries (and referred patients) or defective service and negligence, the amount equivalent to 15% of the amount of Performance Bank Guarantee will be charged as agreed Liquidated Damages by the Railway, however, the total amount of the Performance Bank Guarantee will be maintained intact being a revolving Guarantee.

- In case of repeated defaults by the Hospital the total amount of Performance Bank Guarantee will be forfeited and action will be taken for removing the Hospital from the empanelment of Railway as well as termination of this Agreement.

- For over-billing and unnecessary procedures, the extra amount so charged will be deducted from the pending / future bills of the Hospital and the Railway shall have the right to issue a written warning to the hospital not to do so in future. The recurrence, if any, will lead to De-recognition from Railway.

19. TERMINATION FOR DEFAULT

The Railway may, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, by written notice of default sent to the Hospital terminate the Agreement in whole or part:

19.1 If the empanelled Hospital fails to provide any or all of the services for which it has been empanelled within the period(s) specified in the Agreement or within any extension thereof if granted by the Railway pursuant to Condition of Agreement or if the Health Care Organization fails to perform any other obligation(s) under the Agreement.

19.2 If the Hospital in the judgment of the Railway has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the Agreement.

19.3 In case of any wrong doings as specified in Memorandum of Agreement by one hospital Railway reserves the right to remove all empanelled hospitals of that particular group from its empanelled list of hospitals.

21. INDEMNITY

The empanelled Hospital shall at all times, indemnify and keep indemnified Railway / the Government ~~and BPA~~ against all actions, suits, claims and demands brought or made against it in respect of anything done or purported to be done by the Health Care Organization in execution of or in connection with the services under this Agreement and against any loss or damage to Railway / the Government in consequence to any action or suit being brought against the Railway / the Government, along with (or otherwise), Health Care Organization as a Party for anything done or purported to be done in the course of the execution of this Agreement. The Health Care Organization will at all times abide by the job safety measures and other statutory requirements prevalent in India and will keep free and indemnify the Railway from all demands or responsibilities arising from accidents or loss of life, the cause or result of which is the Hospital negligence or misconduct.

The Hospital will pay all indemnities arising from such incidents without any extra cost to Railway and will not hold the Railway responsible or obligated. Railway / the Government may at its discretion and shall always be entirely at the cost of the Health Care Organization defend such suit, either jointly with the Health Care Organization enter or singly in case the latter chooses not to defend the case

22. ARBITRATION

If any dispute or difference of any kind whatsoever (the decision whereof is not herein otherwise provided for) shall arise between the Railway and the Hospital, upon or in relation to or in connection with or arising out of the Agreement, shall be referred to for arbitration by the CMD/CMO of the Unit who will give written award of his decision to the Parties. The decision of the CMD/CMO will be final and binding. The provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply to the arbitration proceedings. The venue of the arbitration proceedings shall be at the city of CMD/CMO office.

22. MISCELLANEOUS

22.1 Nothing under this Agreement shall be construed as establishing or creating between the Parties any relationship of Master and Servant or Principal and Agent between Railway and the Hospital. The Health care Organization shall work or perform their duties under this Agreement or otherwise.

22.2 The Hospital agrees that any liability arising due to any default or negligence in not represent or hold itself out as agent of the Railway.

22.3 The Railway will not be responsible in any way for any negligence or misconduct of the Hospital and its employees for any accident, injury or damage sustained or suffered by any Railway beneficiary or any third party resulting from or by any operation conducted by and on behalf of the Hospital or in the course of doing its performance of the medical services shall be borne exclusively by the hospital who shall alone be responsible for the defect and / or deficiencies in rendering such services.

22.4 The Hospital shall notify the Government of any material change in their status and their shareholdings or that of any Guarantor of the in particular where such change would have an impact on the performance of obligation under this Agreement.

22.5 This Agreement can be modified or altered only on written agreement signed by both the parties.

22.6 Should the Hospital get wound up or partnership is dissolved, the RAILWAY shall have the right to terminate the Agreement. The termination of Agreement shall not relieve the hospital or their heirs and legal representatives from the liability in respect of the services provided by the Hospital during the period when the Agreement was in force.

22.7 The Hospital shall bear all expenses incidental to the preparation and stamping of this agreement.

23. OTHER SERVICES TO BE PROVIDED

The empanelled Hospital will, on the request of RAILWAY, agree to provide training to RAILWAY medical, Para-medical and nursing staff.

24. EXIT FROM THE PANEL

The Rates fixed by the CGHS for the city of _____ (name of the city) shall continue to hold good unless revised by CGHS. In case the notified rates are not acceptable to the empanelled health care Organizations, or for any other reason, the health care Organization no longer wishes to continue on the list under Railway, it can apply for exclusion from the panel by giving one month notice. Patients already admitted shall continue to be treated as per agreed rates between the two parties.

25. NOTICES

25.1 Any notice given by one party to the other pursuant to this Agreement shall be sent to other party in writing by registered post or by facsimile and confirmed by original copy by post to the other Party's address as below.

Railway: CMS/MD/CMO/ACMS-IN-CHARGE

Hospital with address:

(.....)

25.2 A notice shall be effective when served or on the notice's effective date, whichever is later. Registered communication shall be deemed to have been served even if it returned with remarks like refused, left, premises locked, etc.

IN WITNESSES WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be signed and executed on the day, month and the year first above mentioned.

Signed by

CMS//MD/CMO/ ACMS-IN-CHARGE
..... Railway Hospital
.....
For and on behalf of
The President of India

In the Presence of
(Witnesses)

1.

2.

Signed by

For and on behalf of (Hospital)
Duly authorized vide Resolution No. dated
of (name of Hospital)

In the presence of
(Witnesses)

1.

2.

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, dated 09 .12.2021**

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.

CORRIGENDUM

Sub: Revised MoU to be entered into with Private empanelled hospitals.
Ref:- Railway Board's letter of even no. dated 22.11.2021.

Railway Board vide letter referred above has circulated a revised MoU to be entered into with the Private Empanelled Hospitals. The last line of point no. 16 at page no. 11 of MoU may be read as follows "If they have given the same to one Railway then they need **not** give to other Railway since if one hospital is empanelled with a particular Railway then it is deemed empanelled by other Railway too and other Railways can simply sign the MoU with them in same term and conditions for beneficiaries from their Railways".

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 09.12.2021**

Copy to:

1. **The Pr. Chief Medical Directors/Chief Medical Officers, All Indian Railways/Production Units.**
2. **The PFA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.**

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 09.12.2021**

Copy to:

3. **The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.**
4. **The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.**

for Member Finance/Railway Board.

Copy to: F(E) Spl. Branch, Railway Board.

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, dated 12 .01.2022**

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Accountal of expenditure of treatment of Railway medical beneficiaries.
Ref:- Railway Board's letter no. 2018/Trans Cell/Health/CGHS dated 16.06.2021.

Please find enclosed Railway Board's letter cited under reference above, vide point no. 11 there of it has been clarified that the payment of bills of treatment of Railway medical beneficiary in empanelled hospital shall be made by the Railway Unit which had empanelled the hospital, without making any reference or debit etc. to the Railway Unit to which beneficiary belongs.

Accordingly, the accountal of expenditure of treatment of Railway medical beneficiaries will be done by the unit which has empanelled the hospital, irrespective of Railway unit to which beneficiary belongs. The Zonal Railways may project their fund requirement accordingly.

This issues with the concurrence of the Accounts and Finance Directorates of the Ministry of Railways.

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 12 .01.2022**

Copy to:

1. **The Pr. Chief Medical Directors/Chief Medical Officers, All Indian Railways/Production Units.**
2. **The PFAs, All Indian Railways & Production Units.**

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU **New Delhi, Dated 12.01.2022**

Copy to:

1. **The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.**
2. **The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.**

for Member Finance/Railway Board.

Copy to: F(E) Spl. Branch, Railway Board.

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

No. 2021/H-1/11/10/MoU

New Delhi, Dated 03 .06.2022

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.

CORRIGENDUM

Sub: Revised MoU to be entered into with Private empanelled hospitals.
Ref:- Railway Board's letter of even no. dated 22.11.2021.

Railway Board vide letter referred above had circulated a revised MoU for empanelment of Health Care Organizations. Point no. 16 of the revised MoU may be read as follows "Health Care Organizations that are recommended for empanelment after the initial assessment shall also have to furnish a performance Bank Guarantee (Hospitals/Cancer Units - Rs. 10.00 lac, single Specialty Hospitals – 2.00 lac, Eye Centres - Rs. 2.00 lac, Dental Clinics - Rs. 2.00 lac, Diagnostic Centres - Rs. 2.00 lac) valid for a period of 30 months i.e. six month beyond empanelment period to ensure efficient service and to safeguard against any default. (PBG for charitable Organizations would be 50% of above amount). If they have given the same to one Railway then they need not give to other Railway since if one hospital is empanelled with a particular Railway then it is deemed empanelled by other Railway too and other Railways can simply sign the MoU with them in same term and conditions for beneficiaries from their Railways".

It may be noted that the amount of PBG furnished by Health Care Organizations at the time of empanelment after 22.11.2021 should not be less than the amount mentioned above.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU

New Delhi, Dated 03 .06.2022

Copy to:

1. The Pr. Chief Medical Directors/Chief Medical Officers, All Indian Railways/Production Units.
2. The Principal Financial Advisors, All Indian Railways & Production Units.

(Dr. Praval Pant)
Director Industrial Health
Railway Board

No. 2021/H-1/11/10/MoU

New Delhi, Dated 03.06.2022

Copy to:

1. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/Production Units.
2. The Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

03.6.2022
for Member Finance/Railway Board.

Copy to: F(E) Spl. Branch Railway Board.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 22.11.2021**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ किया गया संशोधित समझौता ज्ञापन।
संदर्भ: ट्रांसफार्मेशन सेल का दिनांक 16.06.2021 का पत्र सं.2018/ट्रांस.सेल/हेल्थ/सीजीएचएस।

रेलवे बोर्ड द्वारा उपर्युक्त संदर्भित पत्र के तहत सभी भारतीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को रेलवे के पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और आपात उपचार के क्रियान्वयन के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे।

उक्त पत्र के मुद्दा सं.10 में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय रेलें रेफरल अस्पतालों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में पत्र के पैरा 1 से 9 में दी गई शर्तों से संबंधित उपबंधो को शामिल करेंगी।

तदनुसार, निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ किया जाने वाला संशोधित समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है और इसकी एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयों को सभी पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ संशोधित समझौता ज्ञापन करने की सलाह दी जाती है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

प्रवाल पंत

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 22.11.2021**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

प्रवाल पंत

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 22.11.2021**

प्रतिलिपि:

1. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: एफ (ई) विशेष और स्वास्थ्य शाखा रेलवे बोर्ड

पीसीएमडी/सीएमएस/एमडी/सीएमओ/एसीएमएस-इन-चार्ज.....

और

.....अस्पताल

के बीच

करार

यह करार पहले पक्षकार सीएमएस/एमडी/सीएमओ/एसीएमएस-इन-चार्ज.....भारत सरकार जिसका कार्यालय.....में है, (जिसे इसमें आगे रेलवे कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी है जब तक कि संदर्भ अथवा अर्थ से ऐसा उसके विरुद्ध नहीं है) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति

और

दूसरे पक्षकार.....(अस्पताल का नाम और पता) के बीच 20..... की.....तारीख को किया गया।

जैसा कि भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा (आईआरएचएस) समय-समय पर यथा निर्धारित रेलवे लाभार्थियों को व्यापक चिकित्सा सेवा संबंधी सुविधाएं मुहैया करा रही है।

और जैसा कि भारतीय रेल स्वास्थ्य सेवा.....(शहर का नाम) में निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में रेलवे लाभार्थियों को उपचार सुविधाएं और डॉयगनोस्टिक सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव करती है

और जैसा कि_____ (अस्पताल का नाम) हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में रेलवे लाभार्थियों को उपचार/डॉयगनोस्टिक सुविधाएं (अनुलग्नक-I के अनुसार)..... (शहर का नाम) के लिए के.स.स्वा.यो द्वारा प्रस्तावित की गई दरों पर देने पर सहमत है।

अतः अब एतदद्वारा पार्टियों के बीच निम्नानुसार सहमति दी जाती हैः

1. **परिभाषा और व्याख्या**

1.1 इस करार के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित निबंधनों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगेः

1.1.1 करार का अर्थ होगा यह करार और सभी अनुसूचियाँ, पूरक, परिशिष्टियाँ, अनुबंध और इस करार की शर्तों के अनुसार उसमें किए गए आशोधन.

1.1.2 लाभ का अर्थ होगा विषयगत नियमों के अनुसार लाभार्थी जिस सीमा तक सेवा प्राप्त करने के हकदार हैं.

1.1.3 "कार्ड" का अर्थ(यूएमआईडी/सीटीएसई आदि) रेलवे कार्मिक विभाग के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र ही होगा जिस पर लाभार्थी का

yours 4.2

ब्यौरा होगा। एमआईसी का अर्थ रेल कार्मिक विभाग के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'चिकित्सा पहचान पत्र' होगा जिसपर रेल कर्मचारी या पूर्व रेल कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों/आश्रितों का नाम होगा।

1.1.4 "कार्ड धारक" का अर्थ ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास (यूएमआईडी/सीटीएसई आदि) कार्ड होगा (जिसका नमूना अस्पताल को दिखाया गया है और एक प्रोटो टाइप भी मुहैया कराया गया है)।

1.1.5 रेल लाभार्थी का अर्थ वह व्यक्ति होगा जो आईआरएमएस द्वारा व्यापक चिकित्सा देखभाल का पात्र है और जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेडिकल कार्ड जारी किया गया है, या उसमें नाम शामिल किया गया है और किसी कारण से अपात्र नहीं हुआ हो।

1.1.6 "कवरेज" का अर्थ नियमों, शर्तों और सीमाओं के अधीन लाभार्थियों के रूप में पात्र होने के लिए व्यक्तियों के प्रकार से है।

1.1.7 "आपातकाल" का अर्थ किसी भी कारण से उत्पन्न किसी भी हालत या लक्षण की स्थिति, जो अचानक उत्पन्न हुई हो और यदि जिसका जल्दी सुविधानुसार इलाज नहीं हुआ तो, रोगी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या रोगी के जीवन/अंग को खतरा हो।

1.1.8 "पैनलबद्ध" का अर्थ अस्पताल, एक विशेष अवधि के लिए उपचार/जांच प्रयोजनों के लिए रेलवे द्वारा अस्पताल को प्राधिकार देना होगा।

1.1.9 "अस्पताल" का अर्थ इस करार के तहत कार्य करते हुए (अस्पताल का नाम) मनुष्यों की चिकित्सा जांच, उपचार और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगा।

1.1.10 "अस्पताल की मान्यता समाप्त" का अर्थ जांच की कतिपय प्रक्रिया का पालन करने के बाद वह रेलवे स्वास्थ्य केयर लाभार्थियों के लिए चिकित्सा उपचार प्रदान करने या स्वास्थ्य देखभाल की अच्छी उद्योग प्रथाओं का पालन न करने, अनैतिक तरीकों या धोखाधड़ी को अपनाने की स्थिति में अस्पताल को पैनल से बाहर करना।

1.1.11 "पार्टी" का अर्थ या तो रेलवे या अस्पताल, और "पार्टियों" का अर्थ रेलवे और अस्पताल दोनों से होगा।

1.1.12 "सीजीएचएस पैकेज दरों" का अर्थ सभी समावेशी होगा- रेलवे लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती के समय से छुट्टी के समय तक (समय सीमा सीमित नहीं है) आपात स्थिति के तहत उपचार के लिए भर्ती मरीज के उपचार / डे-केयर / नैदानिक प्रक्रिया के लिए एकमुश्त लागत सहित –(1) पंजीकरण प्रभार, (2) भर्ती प्रभार, (3) रोगियों के आहार सहित आवास प्रभार, (4) ऑपरेशन प्रभार, (5) इंजेक्शन प्रभार, (6) मरहम-पट्टी प्रभार, (7) डाक्टर/परामर्शदाता के आने की फीस, (8) आईसीयू / आईसीसीयू प्रभार, (9) देखभाल प्रभार, (10) ट्रांसफ्यूजन एवं रक्त प्रसंस्करण प्रभार, (11) प्री-एनेस्थिसिया जांच और एनेस्थिसिया प्रभार

yami 4-6

(12) ऑपरेशन कक्ष प्रभार, (13) प्रक्रियात्मक प्रभार / शल्य चिकित्सक की फीस, (14) अस्पताल में भर्ती होने के दौरान प्रयुक्त सर्जिकल डिस्पोज़ेबल और हर तरह की वस्तुओं की लागत, (15) दवाइयों एवं उपभोगीय वस्तुओं की लागत (16) संबंधित रुटीन एवं आवश्यक जांचें, (17) फिजियोथैरिपी प्रभार आदि (18) नर्सिंग देखभाल प्रभार इत्यादि।

पैकेज दरों में डॉक्टर से ऑपरेशन के बाद दो बार के विचार-विमर्श भी शामिल हैं।

1.1.13 प्रत्यारोपण/स्टंट/ग्राफ्ट की लागत के लिए पैकेज दरों के अलावा सीजीएचएस सीलिंग दरों के अनुसार या वास्तविक दरों के अनुसार, जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी।

1.1.14 यदि एक लाभार्थी स्टंट/प्रत्यारोपण की एक विशेष ब्रांड की मांग करता है और लिखित में अपनी सहमति देता है तो सीलिंग दर के अतिरिक्त लागत में अंतर की वसूली लाभार्थी से की जाएगी, जिसकी रेलवे द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी/देय नहीं होगा। इस तथ्य को पारदर्शिता के उद्देश्य से बिल में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

1.1.15 रेलवे लाभार्थी के अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार के दौरान, अस्पताल रोगी अथवा उसके परिचारक को बाहर से, अलग से दवाई / किसी भी वस्तु/ उपकरण या अन्य सामान को खरीदकर लाने को नहीं कहेगा तथा सीजीएचएस द्वारा निर्धारित पैकेज दर के भीतर ही उपचार मुहैया कराएगा, जिसमें सभी मदों की लागत शामिल है। बहरहाल, निम्नलिखित मदें रेलवे द्वारा प्रतिपूर्ति/भुगतान के लिए स्वीकार्य नहीं हैः

- टॉयलेटरीज़
- सैनेटरी नैपकिन्स
- टैल्कम पाउडर
- माउथ फ्रेशनर
- रोगी के परिचारक/परिचारकों के लिए आहार प्रभार
- टेलीफोन बिल/आहार संबंधी/पोषण संबंधी पूरक
- रेलवे द्वारा निर्णय ली गई कोई और मद

1.1.16 परंपरागत उपचार के मामलों में/जहां कोई सीजीएचएस पैकेज दर नहीं है, स्वीकार्य राशि की गणना, मद वार सीजीएचएस दरों के अनुसार या यदि किसी विशेष मद के लिए सीजीएचएस दर उपलब्ध नहीं है, एआईआईएमएस दरों के अनुसार की जाएगी।

1.1.17 पैकेज दरें, जिसमें इनडोर उपचार की अधिकतम अवधि वर्णित है, निम्नानुसार हैः

- विशेष (सुपर विशिष्टताओं) के उपचार के लिए 12 दिन तक
- अन्य प्रमुख सर्जरी के लिए 7 दिन तक
- लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए 3 दिन तक और

yaim 4.6

- दिन भर के लिए देखभाल/(ओपीडी) में लघु सर्जरी के लिए एक दिन

हालांकि, यदि लाभार्थी को, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए पैकेज दर में कवर अवधि से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में रहना हो, तो अतिरिक्त बिल राशि के लिए अस्पताल को अनुमति दी जा सकती है, जिसमें पात्रता के अनुसार आवास प्रभार, अनुमोदित दरों पर जांच प्रभार, डाक्टरों के देखने आने के प्रभारों (विशेषज्ञों/परामर्शदाता द्वारा देखने आने के लिए प्रति दिन 2 बार से अधिक नहीं) और अतिरिक्त रुकने पर दवाओं की लागत के प्रभारों तक ही सीमित किया जाएगा. इस प्रकार की अस्पताल में भर्ती की विस्तारित अवधि के लिए परिस्थितियों को संगत चिकित्सा रिकॉर्ड द्वारा दर्शाया जाना चाहिए तथा इन्हें अस्पताल द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

1.1.18 अस्पताल में भर्ती होने की विस्तारित अवधि के लिए किसी अतिरिक्त प्रभार की अनुमति नहीं होगी, यदि ऐसा पाया जाता है कि अस्पताल में भर्ती होने की विस्तारित अवधि अस्पताल में हुए संक्रमण (एचएआई), शल्य प्रक्रिया/त्रुटिपूर्ण जांच प्रक्रिया इत्यादि के परिणामस्वरूप संक्रमण के कारण आवश्यक हो गई है। इस संबंध में रेलवे का निर्णय अंतिम होगा।

1.1.19 जब एक रेल लाभार्थी गैर आपात स्थिति के तहत भर्ती होता है, तो वह पैनलबद्ध अस्पताल सीजीएचएस अनुमोदित दरों या रेलवे के साथ सहमति से तय हुई दरों से अधिक प्रभार वसूल नहीं कर सकता है। अधिक शुल्क वसूली के किसी भी मामले में, सीजीएचएस की दर की तुलना में बढ़ाकर ली गई राशि (अस्वीकार्य वस्तुओं और सीएसटीई लाभार्थी द्वारा चुने एक विशिष्ट ब्रांड के प्रत्यारोपण/स्टंट लगाने के संबंध में भुगतान की गई राशि के अंतर को छोड़कर) को अस्पताल द्वारा किया गया अनैतिक कृत्य माना जाएगा और इस कारण उनके ठेके को रद्द भी किया जा सकता है।

1.1.20 आईआरएचएस ने सभी विशेषज्ञताओं के लिए सीजीएचएस के लिए रेल लाभार्थियों के लिए ----------अस्पताल को पैनलबद्ध किया है जिसके लिए इसे के.स.स्वा.यो. द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह अपने किसी भी लाभार्थी को उपचार/प्रक्रिया/जांच जो रेलवे के स्थानीय स्वास्थ्य संस्थान के अंदर उपलब्ध नहीं है, के लिए रेफर भी कर सकती है।

1.1.21 रेलवे के साथ किसी प्रकार की बातचीत के लिए अस्पताल इस करार के हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी या उनके किसी प्राधिकृत अधिकारी से बातचीत करेंगे। बहरहाल, हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी का उच्च कार्यालय अस्पताल से किसी रिपोर्ट की मांग कर सकता है।

1.1.22 अलग अलग शहरों मे लागू सीजीएचएस दरें उस शहर या नजदीकी शहर के लिए सीजीएचएस द्वारा की गई अधिसूचना के अनुसार है। दरें प्रयोज्य दरों के अनुसार

होगी अर्थात किसी प्रकार की कमी या वृद्धि उसी तिथि से लागू होगी जिस तिथि से सीजीएचएस में लागू है।

या

रेलवे के साथ परस्पर निर्धारित दरें(भारत सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों या गैर सीजीएचएस अस्पतालों के मामले में)।

अस्पताल जेनरिक नाम में प्रिसक्रिपशन लिखेगा और सात दिनों की अवधि तक के लिए दवाईयां मुहैया कराएगा। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः-

i. अस्पताल द्वारा आवश्यक दवाईयां उपचार की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जेनरिक फॉर्म में जारी की जाएंगी।

ii. अस्पताल द्वारा किसी प्रकार का पोषण संबंधी सप्लीमेंट, टॉनिक, कफ सीरप, विटामिन; इंजेक्शन जारी नहीं किए जाएंगे। इनकी अनुमति नहीं है।

iii. कोई भी गैर दवा संबंधी मदें/उपकरण/यंत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

iv. अस्पताल द्वारा जारी की गई दवाईयों की कुल कीमत किसी भी स्थिति में 2000 रु से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. **करार की अवधि**

करार दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक इसे संशोधित या निरस्त किया जाए, इनमें से जो भी पहले हो तक लागू रहेगा. इस करार के सभी निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने पर तथा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इस करार की अवधि को प्रतिवर्ष बढ़ाया जा सकता है।

नोटः यदि सीजीएचएस द्वारा अस्पताल को पैनल से हटा दिया जाता है या किसी कारणवश उसकी पैनल की मान्यता को बढ़ाया न जाए, जब तक की रेलवे द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, तो इस करार के तहत रेलवे की उस अस्पताल के साथ पैनलबद्धता भी समाप्त कर दी जाएगी।

बहरहाल, इस समझौता ज्ञापन की वैधता अवधि के दौरान पहले से ही भर्ती रोगी को उपचार मुहैया कराया जाना जारी रहेगा, जिसका भुगतान इस समझौता ज्ञापन के अनुसार रेलवे द्वारा किया जाएगा।

3. **उपचार/सेवाएं मुहैया कराने के लिए शर्तें**

क. **सामान्य शर्तें**

अस्पताल को के.स.स्वा.यो. द्वारा यथा अनुमोदित हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में **सभी सुविधाओं/उपलब्ध सेवाओं के लिए पैनलबद्ध** किया जाएगा और चयनित विशेषताओं/सुविधाओं के लिए पैनलबद्ध नहीं किया जाएगा।

अस्पताल रेलवे लाभार्थियों का आपातकालीन स्थिति के लिए ही जांच/उपचार करेंगे जिसके लिए रोगी अस्पताल गया है। इसी प्रकार, अस्पताल रेलवे लाभार्थियों को केवल उसी स्थिति के लिए जांच सुविधा/उपचार देगें जिसके लिए उन्हें रेलवे अस्पताल से भेजा गया है। अस्पताल द्वारा कोई अनुचित/अनावश्यक जांच नहीं की जाएगी।

इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि रेलवे लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा ।

आईआरएचएस को निजी अस्पताल में मुहैया कराए गए उपचार को मॉनिटर करने का अधिकार होगा।

ख. **अतिरिक्त प्रक्रियाएं/जांच**

अस्पताल को रेलवे लाभार्थियों के आपातकालीन उपचार के लिए पैनलबद्ध किया गया है। आपातकालीन स्थिति, जिसके लिए प्रारंभ में अनुमोदन दिया गया था, से इतर किसी सामग्री/अतिरिक्त प्रक्रिया/जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी।

इसी तरह यदि आईआरएचएस रोगी को रेफर करता है, तो दिया गया उपचार उसी शर्त के भीतर होना चाहिए, जिसके लिए रोगी को रेलवे स्वास्थ्य संस्थान द्वारा रेफर किया गया है।

ग. **वह प्रक्रिया जहां आपातकाल में आने वाले रेलवे लाभार्थी को विशिष्टता (विशिष्टताओं) वाले उपचार की आवश्यकता होती हो, जो उस अस्पताल में उपलब्ध नहीं होता।**

अस्पताल उनके पास आए विशिष्टताओं वाले मामलों में वह उपचार शुरू नहीं करेगा, जो उपचार उसके अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन वह रोगी को स्थिरता प्रदान कराने के लिए आवश्यक उपचार देगा तथा इस बात की सूचना रेलवे अधिकारियों को देते हुए रोगी को सुरक्षित निकटतम मान्यता प्राप्त अस्पताल में पहुंचाएगा। हालांकि, इस तरह के मामलों में, अस्पताल, अस्पताल में प्रदान किए गए उपचार के लिए ही सीजीएचएस दरों के अनुसार चार्ज करेगा।

घ. **बुनियादी ढांचे/कर्मचारियों में परिवर्तन की अधिसूचना रेलवे को देना**

अस्पताल, अस्पताल परिसर के बुनियादी ढांचे/स्थानांतरण में किसी भी परिवर्तन के बारे में रेलवे को सूचित करेगा। रेलवे की पूर्व अनुमति के बिना अस्पताल सुविधा को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के मामले में पैनल अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।

ड. **वार्षिक रिपोर्ट**

अस्पताल, अस्पताल में भर्ती किये गए रेलवे लाभार्थियों की संख्या, रेलवे को प्रस्तुत बिलों और भुगतान की प्राप्ति के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अस्पताल

द्वारा उपचार किए गए रेफर्ड रोगियों के संबंध में समान रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। अस्पतालों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी स्टेटमैन्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अस्पताल डिजिटल फॉर्मेट में सभी मेडिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा।

च. **बैठकें**

काम करने की स्थिति में सुधार और शिकायतों के निवारण के संबंध में रेलवे द्वारा आयोजित आवधिक बैठकों में पैनल में शामिल पैनलबद्ध अस्पताल के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि को भाग लेना होगा।

छ. **निरीक्षण**

रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान, पैनलबद्ध अस्पताल के अधिकारी निरीक्षण किये जाने में सहयोग करेंगे।

ज. **कोई व्यावसायिक प्रचार नहीं किया जाएगा**

अस्पताल रेलवे या भारत सरकार के नाम को व्यावसायिक प्रचार के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। बहरहाल, आईआरएचएस के तहत पैनलबद्ध होने का तथ्य पैनलबद्ध अस्पताल के परिसरों में प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि शुल्क सीजीएचएस अनुमोदित दरों के अनुसार लिए जाएंगे।

4. **आपातकाल स्थिति में उपचार**

निम्नलिखित बीमारियों के रोगियों का आपात स्थिति में इलाज किया जा सकता है **जो कि केवल उदाहरण ही हैं संपूर्ण नहीं**, यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है और यदि सीजीएचएस द्वारा किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है, तो वह रेलवे के लिए भी लागू होगाः

- एक्यूट कौरोनरी सिन्ड्रोम (कोरोनरी आर्टरी बाय-पास ग्राफ्ट/परक्यूटेनियस, ट्रान्सल्यूमिनल कोरोनरी एन्जियोप्लास्टी) मायोकारडीयल इनफेक्शन के साथ, अनस्टेबल एनजाइना, वेन्ट्रिकुलर एरीथीमियास, पैरोक्सिज़मल सुपरा वैन्ट्रिकुलर टैचीकार्डिया, कॉर्डिएक टैम्पोनेड, एक्यूट लैफ्ट वैनट्रिकूलर फेलियर/स्वियर कॉनजेस्टिव कॉर्डिएक फेलियर, एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन, कम्पलीट हार्ट ब्लॉक एवं स्टोक एडम अटैक, एक्यूट आरोटिक डिस्सेक्शन।
- एक्यूट लिम्ब ईस्कैमिया, रेपचर ऑफ एन्यूरिज़म, मेडिकल एवं सर्जिकल शॉक तथा पेरिफेरल सरकुलेटरी फेलियर।
- सैरेबरो-वैसकूलर अटैक-स्ट्रोक, अचानक मुर्छा आना, सिर पर चोट लगना, रैसीपरेटरी का फेलियर, डीकॉम्पनसेटेड फेफड़े की बिमारी, सैरेबरो-मेनिन्जियल इन्फैक्शन, कॉन्वलज़न, एक्यूट पैरालाइसिस, एक्यूट विज़ूअल लॉस।

- तीव्र पेट दर्द।
- सड़क यातायात दुर्घटनाएं/गिरने के साथ चोट।
- किसी भी कारणवश गंभीर हेमरेज।
- गंभीर विष।
- किडनी का बिल्कुल कार्य न करना (एक्यूट रेनल फेल्योर)।
- ओब्सटेट्रिकल और गायनेकोलॉजिकल की विकट आपात स्थिति के साथ स्त्री को तीव्र पेट दर्द।
- इलैक्ट्रिक शॉक, कोई अन्य जानलेवा स्थिति।

आपात स्थिति में पैनलबद्ध अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं करेंगे या रेलवे लाभार्थी या उसके परिवार के सदस्य (सदस्यों) से अग्रिम भुगतान की मांग नहीं करेंगे और वैध रेलवे मेडिकल पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर रोगी को क्रेडिट सुविधाएं मुहैया कराएगा भले ही रोगी सेवारत कर्मचारी हो या वैध रेलवे चिकित्सा पहचान कार्ड(यूएमआईडी आदि) को प्रस्तुत करके सेवाएं लेने वाला पेंशनर। आपातकालीन मामलों में सदाशयी रेलवे लाभार्थियों को क्रेडिट आधार पर बिना किसी विधिमान्य आधार के उपचार देने से मना करने पर पैनलबद्धता को जारी रखने से मना किया जा सकता है।

अस्पताल आपातकाल में पूर्व अनुमति के बिना भर्ती रोगियों के सभी मामलों को जल्द से जल्द और 24 घंटे के भीतर रेल प्राधिकारियों को परस्पर सहमति से स्वीकृत साधनों के माध्यम से सूचित करेगा और रेलवे अगले 24 घंटे के भीतर इसे वापस करेगा, अन्यथा इसे अनुमोदित के रुप में माना जाएगा। पैनलबद्ध अस्पताल समझौता ज्ञापन के अनुसार आपात स्थिति को स्पष्ट रुप से उल्लेख/प्रमाणित करेगा।

यदि रेलवे को पता चलता है कि रोगी आपातकाल जैसी स्थिति का सामना नहीं कर रहा है, तो ऐसे मामले में इसका निर्धारण होने के चरण तक के बिल का भुगतान रेलवे द्वारा अस्पताल को सीधे किया जाएगा। बहरहाल, रोगी पैनलबद्ध अस्पताल में अपना उपचार प्राप्त करना जारी रख सकता है यदि इसके बाद ऐसा सीजीएचएस दरों या अस्पताल दरों, रोगी द्वारा लागत वहन करने की स्थिति में जो भी कम हो, का भुगतान करके वह उपचार प्राप्त कर सकता है।

5. **विभिन्न प्रकार के वार्डों की पात्रता**

रेलवे लाभार्थी पे बैण्ड/पेंशन में आहरित अपने वेतन के अनुसार प्राइवेट, सेमी प्राइवेट और जनरल वार्ड की सुविधाओं के पात्र होंगे। इन पात्रताओं को समय-समय पर संशोधित किया जाता है और इस संबंध में अद्यतन आदेश को अनुसरण करने की आवश्यकता है। इस समय पात्रता निम्नानुसार हैः-

yaar 4-6

क्र.सं.	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग में अधिकारी द्वारा प्रति महीने आहरित तदनुरुपी मूल वेतन	पात्रता
1	47600 रु. तक	सामान्य वार्ड
2	47601/- से 63100 रु. तक	सेमी प्राइवेट वार्ड
3	63101 रु./- और उससे अधिक	प्राइवेट वार्ड

कार्ड में पृष्ठांकित रोगी की हकदारी का उल्लेख होगा। रेलवे द्वारा रेफर किए गए रोगी के संबंध में वार्ड की पात्रता रेफरल लेटर पर भी पृष्ठांकित की जाएगी।

क. प्राइवेट वार्ड एक अस्पताल के कमरे के रूप में परिभाषित है जहां रोगी को ठहराया जाता है और जिसमें टॉयलेट (लेवेटरी और बाथ) साथ लगा हुआ होता है. कमरे में परिचारक के लिए बेड के साथ वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, बेड-साइड टेबल, सोफासेट, कारपेट आदि जैसा साज-सामान होना चाहिए। कमरा वातानुकूलित होना चाहिए।

ख. सेमी प्राइवेट वार्ड एक अस्पताल के कमरे के रूप में परिभाषित है जहां दो से तीन रोगियों को ठहराया जाता है जिसमें अटेच्ड टॉयलेट सुविधाएं और आवश्यक साज-सामान उपलब्ध होता है।

ग. सामान्य वार्ड एक हॉल के रूप में परिभाषित है जिसमें चार से दस रोगियों को ठहराया जाता है।

पात्र कोटि से ऊपर की कोटि में उपचार न तो रेलवे द्वारा भुगतान के लिए अनुमेय है, न ही प्रतिपूर्ति के योग्य है। यदि रोगी या उसका परिचारक समय-समय पर यथा संशोधित उपर्युक्त मौजूदा नियमों (पैरा 5) के तहत अनुमेय श्रेणी से ऊपर की श्रेणी का विकल्प देता है, कमरा प्रभार, प्रक्रिया और उपचार संबंधी लागत, जांच इत्यादि सहित उपचार की लागत का अंतर रोगी के प्रतिनिधि द्वारा वहन किया जाएगा। इस आशय की एक लिखित घोषणा इस प्रकार के परिवर्तन करने से पहले से ली जानी चाहिए और इसे अस्पताल द्वारा रोगी या उनके प्रतिनिधि से सीधे प्राप्त किया जा सकता है। पारदर्शिता के प्रयोजन से इसे बनाए गए बिल में सुस्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

6. प्रभारित की जाने वाली अनुमोदित दरें

6.1 पैनलबद्ध अस्पताल रेल लाभार्थियों से के.स.स्वा.यो द्वारा यथा निर्धारित विशेष प्रक्रिया/पैकेज डील के लिए निर्धारित दरों या जहां के.स.स्वा.यो के लिए दर उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में रेलवे द्वारा परस्पर स्वीकृत दरों के अनुसार या भारत सरकार के उपक्रम के मामले में, जहां के.स.स्वा.यो का कोई भी अस्पताल मौजूद नहीं है और अनुलग्नक (दर सूची) के रूप में संलग्न जो इस करार का एक अभिन्न अंग होगा, अस्पताल या परस्पर स्वीकृत दरों के अनुसार पैसा वसूल करेगा। के.स.स्वा.यो. द्वारा अधिसूचित दरें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट http://msotransparent.nic.in/cghsnew/index.asp पर भी उपलब्ध होंगी।

पृष्ठ सं 4-ई

6.2 पैकेज दर की गणना निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार की जाएगी। ठहरने की अवधि बढ़ जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार मान्य नहीं होगा यदि वह विस्तार सर्जिकल प्रक्रिया के परिणामस्वरूप संक्रमण के कारण या किसी अनुचित प्रक्रिया के कारण है और जो न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में रेलवे का निर्णय अंतिम होगा।

6.3 इस करार के तहत रेल लाभार्थियों के लिए कोई डायग्नोस्टिक जाँच, सर्जिकल प्रक्रिया और अन्य चिकित्सीय उपचार के लिए प्रक्रिया और पैकेज दरें इस करार की वैधता अवधि के दौरान _____(शहर का नाम) शहर के लिए लागू सूची की अद्यतन सीजीएचएस दर के अनुसार होगी। पैनलबद्ध अस्पताल इस पर सहमत है कि रेल लाभार्थी के इन-पेशेंट उपचार के दौरान, अस्पताल लाभार्थी या उसके परिचारक को बाहर से दवाइयाँ/विविध/उपस्कर या सामान अलग से खरीदने के लिए नहीं कहेंगे और उपचार के.स.स्वा.यो द्वारा निर्धारित पैकेज डील पर जिसमें सभी मदों की लागत शामिल है, के भीतर मुहैया कराएगा। शिकायत, चिकित्सीय लेखा-परीक्षा या रेलवे दल द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर उचित कार्रवाई जिसमें रेलवे एम्पैनलमेंट से हटाना और/या इस करार को समाप्त करना शुरू किया जाएगा। अस्पताल रेल कर्मचारियों/पेंशनर्स को मान्य आई कार्ड/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर के.स.स्वा.यो की दरें प्रभारित करने पर सहमत हैं, यद्यपि उपचार रेलवे लाभार्थी के रूप में नहीं लिया जा रहा है।

7. **लाभार्थियों के उपचार के लिए भुगतान का तरीका**

रोगियों की तीन श्रेणियां होंगीः

I. रेल अस्पताल द्वारा पैनलबद्ध अस्पताल में रेफर किए गए रेल लाभार्थी।

II. आपातकाल में अस्पताल को सीधे रिपोर्ट करने वाले रेल लाभार्थी।

III. रेल लाभार्थी जो बिना किसी आपातकाल या रेफरल लेटर के सीधे पैनलबद्ध अस्पताल को रिपोर्ट करते हैं और ओपीडी/आईपीडी/जांच जिसके लिए पैनलबद्ध अस्पताल सीजीएचएस दर या अस्पताल दर, जो भी कम हो, प्रभारित करेगा, के लिए स्वयं भुगतान करते हैं।

क्रम सं. 7(I) के तहत आने वाले रेल लाभार्थी, जो रेलवे से रेफरल लेटर के साथ अस्पताल में उपचार ले रहे हैं, के बिल को उस संबंधित रेलवे अस्पताल के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके साथ उसका समझौता ज्ञापन हुआ है।

ऊपर क्रम सं. 7(II) के तहत पैरा 4 में दिए गए उपचार/प्रक्रिया के संबंध में आपातकाल में आने वाले रेल लाभार्थियों को सेवाएं क्रेडिट पर दी जाएंगी और मुहैया कराई

पेज 4-2

जाएंगी। उनसे किसी प्रकार की भुगतान की मांग नहीं की जाएगी और आपसी सहमति के माध्यम रेलवे अस्पताल को सूचना भेजी जाएगी और उस संबंधित रेलवे अस्पताल प्राधिकार की मांग करेगा जिसके साथ समझौता ज्ञापन किया गया है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां रेलवे अस्पताल पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा प्रस्तुत की गई भर्ती रिपोर्ट की छान-बीन के बाद यह पाता है कि रोगी आपातकाल की स्थिति से सामना नहीं कर रहा था। ऐसे मामलों में, इसका निर्धारण होने के चरण(पैरा 4) तक का अस्पताल का बिल रेलवे द्वारा अस्पताल को सीधे भुगतान कर दिया जाएगा। बहरहाल, यदि रोगी पैनलबद्ध अस्पताल में उपचार प्राप्त करना जारी रखना चाहता है, तो वह उसके बाद सीजीएचएस दर या अस्पताल दर, रोगी के लिए जो भी लागत कम हो, का भुगतान कर वह उपचार प्राप्त कर सकता है।

ऊपर क्रम सं. 7(III) के तहत आने वाले रेलवे के मरीजों के संबंध में, पैनलबद्ध अस्पताल को भुगतान पहले से ही निर्धारित दर पर रेलवे के मरीजों से सीधे वसूल करना पड़ेगा। पैनलबद्ध अस्पताल रेल लाभार्थियों को सीजीएचएस अनुमोदित दरों या अस्पताल दरों, जो रेल चिकित्सा लाभार्थियों की अपनी लागत पर बिना रेफरल या गैर आपालकाल स्थिति में उपचार के लिए जो भी कम हो, पर ओपीडी या अन्यथा में आवश्यक उपचार मुहैया कराएगा।

8. **नोडल अधिकारियों की अधिसूचना**

पैनलबद्ध अस्पताल पैरा 4 में किए गए उल्लेख के अनुसार आपातकाल की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए आपातकाल में रेल लाभार्थियों के भर्ती के बारे में संबंधित रेलवे अस्पताल को सूचित करेगा। पैनलबद्ध अस्पताल रेल लाभार्थियों के लिए एक काउंटर को चिन्हित करेगा और उस अस्पताल के लिए रेलवे के साथ संव्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम और संपर्क नंबर भी प्रदर्शित करेगा जैसा कि सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए किया जा रहा है। संबंधित रेलवे अस्पताल पैनलबद्ध अस्पताल और रेलवे लाभार्थियों के लिए प्रशासनिक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए दो वरिष्ठ चिकित्सकों को नियुक्त करेगा।

9. **आपातकालीन भर्ती वाले अस्पतालों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सूचना।**

अस्पताल आपातकाल में पूर्व अनुमति के बिना भर्ती रोगियों के सभी मामलों को जल्द से जल्द और 24 घंटे के भीतर रेल प्राधिकारियों को परस्पर सहमति से स्वीकृत साधनों के माध्यम से सूचित करेगा और रेलवे अगले 24 घंटे के भीतर इसे वापस करेगा, अन्यथा इसे अनुमोदित के रूप में माना जाएगा। पैनलबद्ध अस्पताल समझौता ज्ञापन के अनुसार आपात स्थिति को स्पष्ट रूप से उल्लेख/प्रमाणित करेगा।

यदि रेलवे को पता चलता है कि रोगी आपातकाल जैसी स्थिति का सामना नहीं कर रहा है, तो ऐसे मामले में आपातकाल निर्धारण होने के चरण तक के बिल का भुगतान

रेलवे द्वारा सीधे अस्पताल को किया जाएगा। बहरहाल, रोगी पैनलबद्ध अस्पताल में अपना उपचार प्राप्त करना जारी रख सकता है, यदि इसके बाद ऐसा सीजीएचएस दर या अस्पताल दर, रोगी द्वारा लागत वहन करने की स्थिति में जो भी कम हो, का भुगतान करके उपचार प्राप्त कर सकता है।

किसी भी मामले में उपचार को इस कारण से विलंब या मना नहीं किया जाएगा कि रेलव द्वारा अधिकार पत्र उपलब्ध नहीं है।

10. बिल प्रस्तुत करना

पैनलबद्ध अस्पताल संबंधित सीएमएस/एमडी कार्यालय को बिलों को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए वास्तविक बिल प्रस्तुत करेगा। बहरहाल, रेल लाभार्थियों के उपचार समाप्त होने की तारीख से/अस्पताल से छूट मिलने की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद रेल प्राधिकारी द्वारा पैनलबद्ध अस्पताल के किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. दावे का प्रक्रियाबद्ध किया जाना

अस्पताल से, रोगी के डिस्चार्ज होने के 7 दिनों के भीतर एक विशिष्ट अवधि के लिए बिल को वेबसाइट पर अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

अस्पताल द्वारा बिल प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर मौजूदा नियमों के अनुसार यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे उठाते हुए रेलवे अस्पताल बिल का परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा, यदि अस्पताल को परीक्षित विवरण के बारे में कुछ कहना है, तो वह यह 2 दिनों के भीतर करेगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि अस्पताल परीक्षित विवरण से सहमत है।

अनुमोदन के बाद एमडी/सीएमएस/सीएमओ बिल को संबद्ध लेखा विभाग को प्रस्तुत करेगा (अंतिम आपत्ति के क्लीयर होने के 15 कार्य दिवस के भीतर)। लेखा विभाग बिल पास करेगा और 15 कार्य दिवस के भीतर अस्पताल को भुगतान करेगा।

<u>नोटः-</u> रोगी किसी रेलवे इकाई से हो सकता है जो करार पर हस्ताक्षर करने वाले इकाई से इतर हो, लेकिन बिल का भुगतान रेलवे इकाई जिससे लाभार्थी संबंध रखता है, को किसी प्रकार के पत्राचार या डेबिट आदि किए बिना उस रेलवे इकाई द्वारा किया जाएगा जिसने अस्पताल को पैनलबद्ध किया है।

रेलवे अस्पतालों के भावी बिलों से जैसा भी मामला हो, वसूली, यदि कोई हो, करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रेलवे निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए बिल की जांच करेगाः

(क) अनावश्यक भर्ती और अनुचित उपचारों का पता लगाने के लिए रोगियों के रिकॉर्ड की स्क्रीनिंग सहित उपचार का औचित्य।

(ख) क्या योजनाबद्ध उपचार को आपातकालीन उपचार के रूप में दर्शाया गया है।

(ग) क्या अनावश्यक जांच सहित डायग्नोस्टिक, चिकित्सीय या सर्जिकल, प्रक्रियाएं जो अपेक्षित नहीं थीं, अस्पताल द्वारा की गई थीं।

(घ) क्या उपचार संबंधी प्रक्रियाएं अनुमोदित दरों और पैकेज के अनुसार दी गईं।

(ङ) क्या की गई प्रक्रिया वहीं थीं जिसके लिए अनुमति दी गई थी या रोगी को रेफर किया गया था।

(च) पैनलबद्ध अस्पताल रेल लाभार्थियों को प्रमाणित तथा अनुमोदित उपचार प्रोटोकोल मुहैया कराएगा। उपचार जो अनुमोदित नहीं है या प्रायोगिक प्रकृति की है, की अनुमति नहीं है।

12. बिलों की चिकित्सीय लेखा परीक्षा

पैनलबद्ध निजी अस्पताल द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं की निरंतर चिकित्सीय लेखा परीक्षा रेलवे अथवा इसकी नामित एजेंसी द्वारा की जाएगी।

13. पैनलबद्ध अस्पताल की ड्यूटी तथा उत्तरदायित्व

पैनलबद्ध अस्पताल की हर समय यह ड्यूटी और जिम्मेवारी होगी कि वैध पंजीकरण, मान्यता और उच्च गुणवत्ता और स्टैण्डर्ड की सेवाओं और हेल्थकेयर को प्राप्त करें, अनुरक्षण करें और बनाए रखें और उसके पास मौजूदा नियमों के तहत या उसके अनुसार संबंधित प्राधिकारियों के सभी वैधानिक/अनिवार्य लाइसेंस, परमिट या अनुमोदन हों।

14. समनुदेशन नहीं करना

पैनलबद्ध अस्पताल इस करार के तहत निष्पादित किए जाने वाले अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समनुदेशित नहीं करेंगे सिवाय इसके कि यह समनुदेशन रेलवे के अपने एकमात्र विशेषाधिकार पर उनकी पूर्व लिखित सहमति और उन निबंधन एवं शर्तों, जैसा रेलवे द्वारा उपयुक्त माना जाएगा. ऐसे किसी समनुदेशन से अस्पताल इस करार के अंतर्गत किसी बाध्यता अथवा दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

15. करार अवधि के दौरान पैनलबद्ध अस्पताल की सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व

पैनलबद्ध अस्पताल अत्याधुनिक तरीकों और आर्थिक सिद्धान्तों का उपयोग करते हुए करार में विनिर्दिष्ट निष्पादन को प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए करार के अनुसार सभी कांट्रेक्ट संबंधी गतिविधियाँ करने के लिए उत्तरदायी और बाध्य है। अस्पताल अपने प्राधिकार के भीतर कार्रवाई करने और रेलवे द्वारा जारी किए गए

दिशा-निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य है। अस्पताल अपने कार्मिकों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है और उनके व्यवहार, चूक, दुर्व्यवहार या सेवाओं में कमी, यदि कोई हो, के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा।

16. **निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)**

हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें आरंभिक मूल्यांकन के बाद पैनलबद्ध करने के लिए सिफारिश की गई है, को कुशल सेवा और किसी प्रकार की कमी के संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 महीनों अर्थात पैनलबद्ध करने की अवधि से आगे की 6 महीने की मान्य अवधि के लिए 2 लाख रुपए की निष्पादन बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करनी होगी। (चेरिटेबल ऑर्गेनाइजेशनों के लिए पीबीजी उपर्युक्त राशि का 50% होगी)। सिंगल स्पेशिएलिटी अस्पतालों के मामले में इसकी पीबीजी 50,000 रुपए की होगी। यदि उसने एक रेलवे को वही दिया है, तो उसे दूसरे रेलवे को भी देने का प्रयोजन है चूंकि यदि एक अस्पताल किसी रेलवे विशेष के साथ पैनलबद्ध है, तब यह दूसरी रेलवे द्वारा भी पैनलबद्ध माना जाता है और दूसरी रेलवे अपने रेलवे से लाभार्थियों के लिए अस्पताल के साथ उसी निबंधन एवं शर्तों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकती है।

17. **निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करना तथा पैनलबद्ध संगठनों की सूची से हटाना**

रेलवे के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, जो इस प्रकार हैं :

1. सेवा से इन्कार,
2. अनावश्यक प्रक्रिया करना,
3. अनावश्यक दवाओं/जाँचों के लिए कहना,
4. ओवर बिलिंग,
5. अस्पताल के पैनलबद्ध होने के बाद कर्मचारी/अवसंरचना/उपस्कर में कमी।
6. रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना, आदतन देरी से प्रस्तुत करना या रिपोर्ट में गलत आंकड़े प्रस्तुत करना।
7. पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट के लिए इनकार करना और उनसे सीधा पैसा लेना।
8. यदि किसी भी स्तर पर एनएबीएच/एनएबीएल/क्यूसीआई द्वारा संस्तुत नहीं है।
9. सामान्य रोगियों की तुलना में रेलवे लाभार्थियों के साथ भेदभाव
10. सीजीएचएस/ईसीएचएस/ईएसआई द्वारा पैनल से बाहर करना।

निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और रेलवे के पास हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता रद्ध करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार की कार्रवाई शिकायत, रेलवे दल द्वारा अचानक की गई चिकित्सीय लेखा-परीक्षा या निरीक्षणों के आधार पर शुरू की जाएगी। रेलवे का निर्णय अंतिम होगा।

18. परिनिर्धारित हानि :

- अस्पताल इस करार के प्रावधानों के अनुसार रेलवे द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएं मुहैया कराएगा। अस्पताल द्वारा करार के प्रावधानों के आरंभिक उल्लंघन के मामले जैसे सेवा से मना करना या रेलवे लाभार्थियों से सीधे पैसे माँगना (और रेफर्ड रोगियों) या त्रुटिपूर्ण सेवा या लापरवाही की स्थिति में निष्पादन बैंक गारंटी की राशि के 15% के समतुल्य राशि रेलवे द्वारा सम्मत परिनिर्धारित हानि के रूप में प्रभारित की जाएगी, बहरहाल, निष्पादन बैंक गारंटी की कुल राशि रिवॉल्विंग गारंटी होने के कारण यथावत बनाए रखी जाएगी।
- अस्पताल द्वारा बार-बार चूक करने के मामले में निष्पादन बैंक गारंटी की कुल राशि जब्त कर ली जाएगी और अस्पताल को रेलवे के पैनल से हटाने के साथ इस करार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
- ओवर-बिलिंग और अनावश्यक प्रक्रियाओं के लिए, इस प्रकार प्रभारित की गई अतिरिक्त राशि अस्पताल के लंबित/भावी बिलों से काटी जाएगी और रेलवे के पास अस्पताल को भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए लिखित चेतावनी जारी करने का अधिकार है। किसी प्रकार की पुनरावृत्ति, यदि कोई हो, होने की स्थिति में रेलवे से मान्यता रद्द की जा सकती है।

19. चूक के लिए करार को समाप्त करना

रेलवे, करार के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, अस्पताल को भेजे गए चूक संबंधी लिखित नोटिस द्वारा करार को पूरी तरह से या आंशिक तौर पर समाप्त कर सकती है।

19.1 यदि पैनलबद्ध अस्पताल कोई या सभी सेवाएं मुहैया कराने में विफल रहता है जिसके लिए करार में विनिर्दिष्ट अवधियों के भीतर या करार की शर्त के अनुसरण में रेलवे द्वारा प्रदान की गई उसकी कोई समयवृद्धि के भीतर पैनलबद्ध किया गया है या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इस करार के तहत किसी अन्य बाध्यता (बाध्यताओं) को पूरा करने में विफल रहता है।

19.2 यदि अस्पताल रेलवे के विचार में प्रतिस्पर्धिता के लिए या करार के निष्पादन में भ्रष्ट या धोखाधड़ी की गतिविधियों में संलिप्त होता है।

19.3 किसी एक अस्पताल द्वारा करार संबंधी ज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट किसी गलत कार्य के मामले में रेलवे के पास अपने अस्पतालों की पैनलबद्ध सूची में से उस विशेष ग्रुप के सभी पैनलबद्ध अस्पतालों को हटाने का पूरा अधिकार है।

20. क्षतिपूर्ति

पैनलबद्ध अस्पताल इस करार के तहत सेवाओं के निष्पादन या संबंध में हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ भी किए गए या तथाकथित किए जाने वाले के विषय में इसके विरुद्ध सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, दावों या सामने लाए गए या किए गए मांग के एवज में

और इस करार के निष्पादन के दौरान कुछ भी किए गए या तथाकथित किए जाने के लिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ-साथ (या अथवा) पार्टी के रूप में रेलवे/सरकार के विरुद्ध की जा रही किसी कार्रवाई या मुकदमों के परिणामस्वरूप रेलवे/सरकार को किसी प्रकार की हानि या क्षति के एवज में रेलवे/सरकार को हमेशा क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित रखेगा। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा भारत में प्रचलित जॉब संरक्षा उपायों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करेगा और रेलवे को दुर्घटनाओं या जनहानि, जो अस्पताल की लापरवाही या गलत कार्यों के कारण या परिणामस्वरूप, से उत्पन्न माँगों या उत्तरदायित्वों से मुक्त रखेगा और क्षतिपूर्ति करेगा।

अस्पताल रेलवे को बिना अतिरिक्त लागत के इस प्रकार की दुर्घटनाओं से उत्पन्न सभी क्षतिपूर्तियों का भुगतान करेगा और रेलवे को उत्तरदायी या बाध्य नहीं ठहराएगा। रेलवे/सरकार इस प्रकार का मुकदमा, या तो संयुक्त रूप से हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मुकदमा न लड़ने का निर्णय लेने की दशा में अकेले, अपने विशेषाधिकार से और पूर्ण रूप से हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की लागत पर बचाव करेगी।

21. **मध्यस्थता**

यदि रेलवे और अस्पताल के बीच करार पर या उसके संबंध में या उससे किसी प्रकार का विवाद या मदभेद होगा (जिसका निर्णय इसमें अन्यथा नहीं दिया गया) उसे इकाई के सीएमडी/सीएमओ को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा जो पार्टियों को अपना निर्णय लिखित में देगा। सीएमडी/सीएमओ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे। मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही का स्थल सीएमडी/सीएमओ कार्यालय के शहर में होगा।

22. **विविध**

22.1 इस करार में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि पार्टियों के बीच मालिक और नौकर या रेलवे और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बीच प्रिंसिपल या एजेण्ट जैसा संबंध स्थापित या सृजित किया जा रहा है. हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इस करार के तहत या अन्यथा कार्य या अपनी ड्यूटी निष्पादित करेंगे।

22.2 अस्पताल इस बात से सहमत है कि किसी चूक या त्रुटि के कारण होने वाले दायित्व के लिए रेलवे के एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करेगा अथवा स्वयं को प्रस्तुत नहीं करेगा।

22.3 रेलवे अस्पताल की किसी लापरवाही या दुर्व्यवहार के लिए और अस्पताल द्वारा उसकी ओर से किए गए किसी ऑपरेशन के परिणामस्वरूप या स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन के दौरान किसी रेलवे लाभार्थी के साथ हुई या उसके द्वारा झेली गई किसी दुर्घटना, चोट या क्षति के लिए इसके कर्मचारियों की या तीसरी पार्टी के लिए जिम्मेवारी नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी विशिष्ट रूप से अस्पताल द्वारा ही वहन की

जाएगी जो इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में त्रुटि और/या कमियों के लिए अकेले ही जिम्मेवार होगा।

22.4 अस्पताल अपनी स्थिति या अपने शेयर होल्डिंग या विशेष रूप से किसी गारंटर के बारे में जहाँ इस प्रकार के बदलाव का इस करार के तहत दायित्व के निष्पादन में प्रभाव पड़ेगा, के बारे में सरकार को अधिसूचित करेगा।

22.5 इस करार को दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सहमति पर ही आशोधित या बदला जा सकता है।

22.6 यदि अस्पताल बंद हो जाता है या साझेदारी समाप्त हो जाती है, रेलवे के पास करार समाप्त करने का अधिकार होगा। करार के समाप्त होने से अस्पताल या उसके उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि उस अवधि जब करार लागू था, के दौरान अस्पताल द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं के विषय में दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।

22.7 अस्पताल इस करार को तैयार करने और स्टांप के लिए प्रासंगिक सभी व्ययों को वहन करेगा।

23. मुहैया कराई जाने वाली अन्य सेवाएं

पैनलबद्ध अस्पताल, रेलवे के अनुरोध पर, रेलवे चिकित्सीय, अर्द्ध-चिकित्सीय और नर्सिंग स्टॉफ को प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए सहमत हैं।

24. पैनल से बाहर निकालना

.....(शहर का नाम) के लिए के.स.स्वा.यो. द्वारा निर्धारित दरें लागू रहेंगी, जब तक के.स.स्वा.यो. द्वारा संशोधित नहीं कर दी जाती हैं। यदि अधिसूचित दरें पैनलबद्ध हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को स्वीकार्य नहीं हैं या किसी अन्य कारण से, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन रेलवे के तहत सूचीबद्ध के रूप में जारी नहीं रहना चाहता है तो यह एक महीने का नोटिस देते हुए पैनल से बाहर होने के लिए आवेदन कर सकता है। पहले से भर्ती रोगियों का दो पार्टियों के बीच सहमति वाली दरों के अनुसार उपचार जारी रहेगा।

25. नोटिस

25.1 इस करार के अनुसरण में एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया जाने वाला किसी प्रकार का नोटिस दूसरी पार्टी को रजिस्टर्ड डाक या फैक्स द्वारा लिखित में भेजा जाएगा और दूसरी पार्टी के नीचे के पते पर डाक द्वारा मूल प्रति से पुष्टि की जाएगी।

रेलवेः एमएस/एमडी/सीएमओ/एसीएमएस-इन-चार्ज

अस्पताल का पताः

(.....)

25.2 नोटिस सुपुर्दगी की तारीख या नोटिस प्रभावी होने की तारीख, जो बाद में हो, से प्रभावी होगा. रजिस्टर्ड पत्र सुपुर्द किया गया माना जाएगा भले ही यह मना कर दिया, छोड़ दिया, परिसर बंद इत्यादि जैसी अभ्युक्तियों के साथ वापस कर दिया जाता है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, पार्टियों ने यह करार किया है जिसे उपर्युक्त दिन, महीने और वर्ष को हस्ताक्षरित और निष्पादित किया जाना है।

हस्ताक्षरित

सीएमएस//एमडी/सीएमओ/एसीएमएस-इन-चार्ज
.....रेलवे अस्पताल
.....
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

निम्नलिखित की उपस्थिति में
(साक्षी)
1.
2.

हस्ताक्षरित

(अस्पताल) के लिए और उनकी ओर से
(अस्पताल का नाम) दिनांक.....के
संकल्प सं.....द्वारा विधिवत प्राधिकृत

निम्नलिखित की उपस्थिति में
(साक्षी)
1.
2.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 09.12.2021**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

शुद्धिपत्र

विषय: निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ किया गया संशोधित समझौता ज्ञापन।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 22.11.2021 का समसंख्यक पत्र।

रेलवे बोर्ड द्वारा उपर्युक्त संदर्भित पत्र के तहत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को परिपत्रित किया गया है। समझौता ज्ञापन के पृष्ठ सं.11 पर पाइंट सं.16 में अंतिम लाइन को निम्नानुसार पढ़ा जाए "यदि वे इसे एक रेलवे को दे चुके हैं तो इसे अन्य रेलों को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि एक अस्पताल किसी एक रेलवे के साथ पैनलबद्ध है तो उसे अन्य रेलों के साथ पैनलबद्ध माना जाएगा और अन्य रेलें समान निबंधन एवं शर्तों पर उनकी रेलों से लाभार्थियों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकती हैं"।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

प्रवाल पंत

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 09.12.2021**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

प्रवाल पंत

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक 09.12.2021**

प्रतिलिपि:

1. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: एफ (ई) विशेष और स्वास्थ्य शाखा रेलवे बोर्ड

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक: 12.01.2022**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: रेल चिकित्सा लाभार्थियों के उपचार पर व्यय का लेखा-जोखा।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 16.06.2021 का पत्र सं.2018/ट्रांस. सैल/हेल्थ/सीजीएचएस।

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न रेलवे बोर्ड के उक्त संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन करें, जिसके पाइंट नं.11 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि पैनलबद्ध अस्पताल में रेल चिकित्सा लाभार्थी के उपचार पर बिलों का भुगतान उस रेल यूनिट द्वारा किया जाएगा, जिसने उस अस्पताल को पैनलबद्ध किया था और इसके लिए लाभार्थी की संबंधित रेल यूनिट से कोई पत्राचार या डेबिट आदि नहीं किया जाएगा।

तदनुसार, रेल चिकित्सा लाभार्थियों के उपचार पर व्यय का लेखा-जोखा लाभार्थी के संबंधित रेल यूनिट द्वारा नहीं बल्कि उस यूनिट द्वारा रखा जाएगा, जिसने उस अस्पताल को पैनलबद्ध किया था। क्षेत्रीय रेलें तदनुसार अपनी निधि की आवश्यकता की योजना बनाएं।

इसे रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक: 12.01.2022**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू **नई दिल्ली, दिनांक: 12.01.2022**

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1) प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
2) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: एफ (ई) स्पेशल शाखा, रेलवे बोर्ड।

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक 03.06.2022

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

शुद्धिपत्र

विषय: निजी पैनलबद्ध अस्पतालों के साथ किए जाने वाले संशोधित समझौता ज्ञापन।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 22.11.2021 का समसंख्यक पत्र।

रेलवे बोर्ड द्वारा उपर्युक्त संदर्भित पत्र के तहत स्वास्थ्य देखरेख संगठनों को पैनलबद्ध करने के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन परिपत्रित किया गया था। संशोधित समझौता ज्ञापन की मद सं.16 को इस प्रकार पढ़ा जाए "स्वास्थ्य देखरेख संगठनों, जिन्हें प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद पैनलबद्ध करने के लिए अनुशंसित किया गया है, को निष्पादन बैंक गारंटी (अस्पताल/कैंसर यूनिट - 10.00 लाख रु., एकल स्पेशलिटी अस्पताल- 2.00 लाख रु., नेत्र केंद्र- 2.00 लाख रु. डेंटल क्लीनिक- 2.00 लाख रु., डायग्नोस्टिक केंद्र- 2.00 लाख रु.) प्रस्तुत करनी होगी जो 30 माह अर्थात पैनलबद्ध अवधि से छह माह आगे तक की अवधि के लिए मान्य होगी ताकि कुशल सेवा तथा किसी भी चूक के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके (चेरिटेबल संगठनों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी उक्त राशि का 50% होगी)। यदि उन्होंने किसी एक रेलवे को निष्पादन बैंक गारंटी दी है तो किसी अन्य रेलवे को गारंटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि किसी एक अस्पताल को किसी विशेष रेलवे के साथ पैनलबद्ध किया गया है तो उसे दूसरी रेलवे के साथ भी पैनलबद्ध माना जाएगा और वह रेलवे उनके साथ अपनी रेलवे के लाभार्थियों के लिए उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकती है।"

यह नोट किया जाए कि 22.11.2021 के बाद पैनलबद्ध के समय स्वास्थ्य देखरेख संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन बैंक गारंटी की राशि उपर्युक्त उल्लिखित राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

Yaim 4-6

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

...2/-

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक 03.06.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

Yaim 4-6

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2021/एच-1/11/10/एमओयू

नई दिल्ली, दिनांक 03.06.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

Prakash 03.6.2022

कृते सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित: एफ (ई) विशेष शाखा रेलवे बोर्ड